

भारतसर्कार GOVERNMENT OF INDIA



वित्तमंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्वविभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्षकर और सीमाशुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमाशुल्क (निवारक) आपुस्तकाकार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
CUSTOMS (PREVENTIVE)



पॉपुली मंजिल, कैथोलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोच्चिन- 682031
5TH FLOOR, CATHOLIC CENTER, BROADWAY, COCHIN - 682031
E-mail: ccphqrs@gmail.com / cru-cpc.ker@gov.in

Fax: 0484-2355070

Phone: 0484-2870400/2354056

फा. सं. F. No. VIII/48/06/2024/RTI/2024-2025
23.01.2026

दिनांक Date:

सार्वजनिक सूचना सं. 01/26

Public Notice No. 01/26

विषय Sub: - सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 - प्रथम अपील अधिकारी (प्र.अ.अ.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.) की नियुक्ति - संबंधी।

Right to Information Act, 2005 - Appointment of First Appellate Authority (FAA) and Central Public Information Officer (CPIO) - reg.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) तथा (2) के प्रावधानों के अनुसार, व्यापार, उद्योग एवं सामान्य जनता को इसी के साथ सूचित किया जाता है कि सीमा शुल्क (निवारक) आगुस्त द्वारा दिनांक 02.01.2026 को जारी कार्य आवंटन आदेश सं. 02/2026 के फलस्वरूप निम्नलिखित अधिकारियों को अपने संबंधित अधीनस्थ कार्यालय में प्रथम अपील अधिकारी (प्र.अ.अ.) एवं केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (के.ज.सू.अ.) के रूप में नामित किए गए हैं। अपने अधीनस्थ कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना हेतु दिए गए आवेदन की प्राप्ति पर उक्त अधिकारियों को सूचना प्राप्त करना एवं संबंधित व्यक्ति को प्रदान करना होगा।

In accordance with the provisions of Section 5(1) and 5(2) of the Right to Information Act, 2005; the trade, industry, and general public are hereby informed that the officers mentioned below, under the Office of the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin, are designated as the First Appellate Authority (FAA) and the Central Public Information Officer (CPIO) in their respective formations. This designation is consequent upon the recent work allocation Office Order No. 02/2026 dated 02.01.2026 issued by the Commissioner of Customs (Preventive), Cochin, to receive and provide information to the public under the Right to Information Act, 2005.

Page 1 of 3

1

अधिनियम की धारा 19(1) के तहत नामित अपील अधिकारी है -

The Designated Appellate Authority under Section 19(1) of the Act is -

अधिकारी का नाम Name of the officer	पदनाम Designation	नियुक्त पद Appointed as	पता Address
श्री शशि कान्त शर्मा Shri. Shashi Kant Sharma	संयुक्त आयुक्त Joint Commissioner	प्रथम अपील अधिकारी (प्र. अ. अ.) First Appellate Authority	सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय, पाँचवीं मंज़िल, कैथोलिक सेंटर, ब्रॉडवे, कोचिन-682031 Office of the Commissioner of Customs (Preventive), 5th floor, Catholic Centre, Broadway, Cochin - 682031 Email : shashisharma86@gov.in Phone No.: 0484- 2355067/9461201385

अधिनियम की धारा 5(1) के तहत नामित केंद्रीय जनसूचना अधिकारी (के. ज. सू. अ.) है :

The Designated Central Public Information Officer (CPIO) under Section 5(1) of the ACT is:

क्र. Sl. No	अधीनस्थ कार्यालय Formation	अधीनस्थ कार्यालय का नाम Formation Head	पदनाम के Designation	कार्यालय का पता Office Address	कार्यालय की दूरभाष सं. एवं ई मेल आई डी Office Phone Number & e-mail id
1	Customs Preventive Division,	Thomas C.A	Assistant Commissioner	O/o the Assistant Commissioner of Customs	0487- 2428112

	Thrissur			Preventive, 2 nd Floor, Near Shaktan Stand, Thrissur Division- 680021	cpd- thrissur@gov. in
--	----------	--	--	--	--------------------------

सभी नामित के.ज.सू.अ. को यह निदेश दिया जाता है कि सू. का. अ. आवेदनों को अत्यंत प्राथमिकता दिया जाए तथा आवेदक को जवाब देते समय सू. का. अ. अ., 2005 में दिए गए समय-सीमा सहित प्रावधानों का सख्त पालन करें।

The designated CPIO is directed to give much priority in RTI Applications and strictly follow the provisions and the time lines as prescribed in the RTI Act, 2005.

Digitally signed by

T TIJU

Date: 23-01-2026

18:09:29

(डॉ. टी. टिजू)

(Dr.T.Tiju)

आयुक्त/ Commissioner

सेवा में To

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्तालय, कोचिन के अधीनस्थ सभी कार्यालय।

All the formations under Commissionerate of Customs (Preventive), Cochin

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to

1. मुख्य आयुक्त, केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, तिरुवनंतपुरम क्षेत्र।

The Chief Commissioner of Central Tax, Central Excise & Customs,
Thiruvananthapuram Zone.

2. आयुक्त, केंद्रीय कर एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, कोचिन, कालिकट तथा तिरुवनंतपुरम (कार्यालयीन वेबसाइट पर सूचनार्थ डालने के अनुरोध सहित)।

The Commissioner, Central Tax & Central Excise, Cochin, Calicut, and
Trivandrum (with a request to upload in the official site for information.)

3. सूचना पट्टे Notice Board